

FROM No.III

फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर (SDO) ... मुकाम.....  
बायतु

.....  
खाराराम कोत बनाम हेमाराज वर्मा

किस्म मुकदमा... शा. भा. 5 न ... नं. 293/19 ... सन्. 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9/19	<p>प्राथी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रि. ए. राम शिवांग</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18/10/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सहायक कलक्टर (SDO)</u> <u>बायतु</u></p>	
18/10/19	<p>प्राथी पक्षीय उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्रार एडी मिजवापे गये जिनके 30 दिन ले अधिकृत का समय व्यवहित हो चुका है। जिनके व्यापक समय लीन वार कावाज लगाई गई जिनके कावाज 5.45 pm पर लगाई गई। विप्राथीगण स्वयं या उनकी कोर ले कोई अधिकवस्ता उपस्थित नहीं हुआ। विप्राथीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एडवोकेट कार्याही कमल में लार्ड जाती है। प्राथी के अधिकवस्ता की एडवोकेट</p>	

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु  
18.10.2019

बहम खुनी जई पार्थी के अधिकारता द्वारा निवेदन  
 किया गया ही पार्थी के ध्यातेदारी घेले के लेहा लेह  
 विपार्थीगो के घेत साथे हुए ही पार्थी व विपार्थीगो  
 के घेले के लेगे पर जो पुरानी माहे व कगे ये जो  
 प्तमान के अधिकारो ही पजट से बिष्वा गये है।  
 जिसके कारण पार्थी व विपार्थीगो के घेले के लेगे  
 का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा लेगे पर किसी  
 उधार ही कोई कच्ची पक्की माह या चिन्ह कड़ी  
 नहीं होने से विपार्थीगो पार्थी के कठजा शुद्ध घेत  
 का जबरदस्ती लेहा लोड देते है एंवम वर्षात होने  
 पर कालत कर लेते है जिससे पार्थी व विपार्थीगो  
 के मध्य तनाजा बना रहता है पार्थी इस कारण  
 अपने ध्यातेदारी घेले ही पक्की नैष्कामबन्दी करवाना  
 चाहते है। इसलिये पार्थी द्वारा प्रस्तुत नैष्कामबन्दी  
 आवेदन को स्वीकार किया जाकर नैष्कामबन्दी आवेदन  
 किया जावे।

अतः पार्थी अधिकारता के निवेदन पर  
 पार्थी का नैष्कामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर  
 तदवधिपर्यंत गिरा को कमिश्नर निश्चिन्त किया जाय  
 के व आवेदन दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने  
 प्राधिकृत किसी भी अथ कमिलेख निरिच्छु से पार्थी  
 के ध्यातेदारी घेले ही पक्की नैष्कामबन्दी मोठे पर  
 कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त  
 होने पर वासिल पत्रावली हो। आवेदन मलग के लिख  
 जाकर वासिल पत्रावली हो। पत्रावली केसल कुमाह  
 होकर दर्ज नम्बर से उम ही दाखिल दस्ता हो।

सिद्धेश्वर  
 18.10.

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 790

दिनांक:- 18/10/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

खरथाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट  
निवासी उदरमोगियों की ढाणी

हेमाराम पुत्र टीकुराम वगैरा  
निवासी उदरमोगियों की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 293/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमोगियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 331,687 रकबा कमशः 92.04, 16.01 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रुपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।



वि. व. 15  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 791 - 95

दिनांक:- 18/10/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम पुत्र मोतीराम
4. विप्रार्थीगण हेमाराम पुत्र टीकुराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

वि. व. 16  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

Scanned by CamScanner

